177 17 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों में 1.1.2007 से यूनियनबद्ध कामगारों के लिए वेतन संबंधी बातचीत के सातवें दौर के लिए नीति

अधोहस्ताक्षरी को भारत सरकार के निर्णय की सूचना देने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के कामगारों के साथ वेतन (जो सामान्यतः 1.1.2007 से देय है) संबंधी बातचीत का अगला दौर ट्रेड यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ उद्यमों के प्रबंधन द्वारा शुरू किया जाए।

2. वेतन संबंधी बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

(i) सीपीएसई के प्रबंधन संबंधित उद्यमों द्वारा संसाधनों के सृजन/लाभ को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुरूप यूनियनबद्ध कामगारों के लिए वेतन ढांचे के संबंध में बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ii) किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा वेतन बढ़ाए जाने के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी। वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के लिए बढ़ी हुई बाध्यताओं को पूरा करने हेतु संसाधन आंतरिक रूप से जुटाए जाने चाहिए और उत्पादकता व लाभप्रदता के संदर्भ में उन्नत निष्पादन से उनका सृजन किया जाए और इस संबंध में सरकार के हस्तक्षेप के लिए अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) ऐसे सीपीएसई, जो एकाधिकार/लगभग एकाधिकार प्राप्त हैं अथवा जो एक निर्धारित मूल्य संरचना के तहत अपना प्रचालन करते हैं, के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बातचीत के पश्चात वेतन में की गई वृद्धि से उनके माल और सेवाओं के निर्धारित मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(iv) वेतन निर्धारण की वैधता अवधि 1.1.2007 से 100 प्रतिशत महंगाई भत्ते को नगण्य बनाते हुए 10 वर्ष होगी। संशोधन इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि आउटपुट के प्रत्येक भौतिक यूनिट की श्रम लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। ऐसे बिरले अपवाद होंगे, जहां उद्योगव्यापी शर्तों को ध्यान में रखते हुए यूनिटें पहले से ही अपनी अधिकतम क्षमता के साथ कार्यरत होंगी। ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग इस विभाग से परामर्श कर सकते हैं।

(v) जहां तक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के साथ पंजीकृत रूग्ण सीपीएसई का संबंध है, तो बीआईएफआर ऐसे उद्यमों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित करता है

जिसमें वेतन संशोधन के मद पर अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान किया गया है, ऐसे सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए कोई वेतन संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए बोर्ड (बीआरपीएसई) को संदर्भित रूग्ण/आरंभिक रूप से रूग्ण सीपीएसई के मामले में वेतन संशोधन पर बीआरपीएस की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(vii) ऐसे सीपीएसई, जिन्हें प्रस्तावित वेतन संबंधी बातचीत से पहले किन्हीं भी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निबल हानि हुई है, परंतु उन्हें बीआईएफआर/बीआरपीएसई को संदर्भित नहीं किया गया है, के मामले में उन्हें वेतन संबंधी बातचीत में भाग लेने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को इस आशय का एक अनुमान बनाकर प्रस्तुत करेंगे कि वेतन संशेधन के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए उनके द्वारा किस प्रकार संसाधन जुटाए जाएंगे।

(viii) ऐसे सीपीएसई अपने प्रशासनिक मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग को इस बात की पुष्टि करने के पश्चात निर्धारित वेतन संशोधन का कार्यान्वयन कर सकते हैं कि संशोधन अनुमोदित मानदंडों के भीतर किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि इस प्रकार बातचीत के आधार पर निर्धारित वेतन से संबंधित सीपीएसई के अधिकारियों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन में किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा द्वंद पैदा नहीं होगा।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयें/विभागों से अनुरोध है कि वे इस विभाग को सूचित करते हुए भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (7)/2006–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XIV**, दिनांक 09 नवंबर 2006)

****